

## 222.क लेख भारतीय लोकतंत्र अर्थात् समस्याएँ पैदा करने और उनके समाधान का खेल

### 222 ख लेख नौ अप्रैल एक ऐतिहासिक यादगार का दिन

#### 222 ग लेख एक मई श्रम सम्मान का प्रतीक या श्रम शोषण का?

घ प्रश्न (1) श्री श्रुतिवन्तु दुबे विजन , बरगंवा जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश , 486886

#### 222 च प्रश्न परमाणु बिजली संयंत्र और प्रधान मंत्री का दो टूक निर्णय

#### भारतीय लोकतंत्र अर्थात् समस्याएँ पैदा करने और उनके समाधान का खेल

लोकतंत्र की और विशेषकर भारतीय लोकतंत्र की खास विशेषता मानी जाती है कि उसका तंत्र और लोक के बीच बंदर और बिल्ली के समान रिश्ता होता है। तंत्र हमेशा बंदर के रूप में रहता है जो बिल्ली रूपी लोक की किसी भी समस्या को सुलझने भी नहीं देता, उसे समस्या का भान और याद भी कराता रहता है तथा वह लोक का यह भी आभास कराता रहता है कि वह निरंतर उक्त समस्या के समाधान में सक्रिय है। यह सक्रियता ही तो उसे बिल्लियों की रोटी काट काट कर खाते रहने का अवसर प्रदान करती रहती है अन्यथा बंदर तो कबका भूखो मर गया होता। कुछ विद्वान भारतीय लोकतंत्र में लोक की तुलना पेंड से तथा तंत्र की तुलना अमर बेल से करते हैं जिसमें अमर बेल बिना जड़ की होते हुए भी पेंड का रस चूस चूस कर तब तक जिन्दा रहती है जब तक पेंड सूख नहीं जाता। भारतीय लोकतंत्र का ठीक इसी तरह समझना चाहिये। वैसे तो भारतीय लोकतंत्र के तीनों ही अंग इस दिशा में निरंतर सक्रिय रहते हैं किन्तु विधायिका इस खेल में अधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हमारे राजनेता लगातार प्रयत्न करते रहते हैं कि किसी भी समस्या को कभी भी सुलझने नहीं देना है। समाज में ऐसा वातावरण बनाये रखना आवश्यक है कि किसी समस्या के समाधान के लिये किसी निष्कर्ष तक सर्व सम्मति न बन सके। उदाहरण के लिये लोक और तंत्र के बीच एक काल्पनिक बातचीत प्रस्तुत है—

तंत्र— आजकल शहरों में जमीन और मकानों के दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। शहरों में लोगों को रहने के लिये मकान नहीं मिल रहे। लोग झुग्गी झोपड़ी में रहने को बाध्य हैं। वहाँ से भी उजाड़ा जा रहा है। समाज को इसका समाधान करना चाहिये।

लोक— समस्या आप पैदा करें और समाधान हम करें यह उल्टी बात है। शहरों में आबादी बढ़ रही है किन्तु आपने मकानों की उंचाई बढ़ाने पर अनावश्यक रोक लगा रखी है। यदि शहरों में मकान बनने में मंजिल संबंधी नियमों में कुछ ढील दे दे तो समस्या हल हो सकती है।

तंत्र— यदि मकान उंचे बने तो लोगों के हवा पानी साफ सफाई का संकट हो जायगा।

लोक— यदि मकान उंचे बनने पर रोक आवश्यक है तो लोगों को आसपास के गांवों में जमीन खरीद कर मकान बनाने तथा उद्योग लगाने की छूट दे दीजिये। वर्तमान में आपने कई प्रदेशों में गांवों की कृषि भूमि पर मकान बनाने या उद्योग लगाने पर रोक लगा रखी है। यदि लोग गांव में जमीन खरीदकर मकान नहीं बना सकते या उद्योग नहीं लगा सकते तो लोग शहर की ओर जायेंगे ही। यदि शहर की ओर जाते हैं और मकान उंचे नहीं बन सकते तो वे बेचारे क्या करें।

तंत्र— यदि कृषि योग्य भूमि पर मकान बनाने तथा उद्योग लगाने की खुली छूट दे दी जाय तो खेती की भूमि घटेगी और कृषि उत्पादन पर बुरा असर पड़ेगा।

लोक— आपने औद्योगिक रूप से खेती करने पर रोक लगा रखी है। यदि ऐसी खेती की छूट दे दी जावे तो कम जमीन में भी ज्यादा उत्पादन हो सकता है। इससे कृषि उत्पादन भी प्रभावित नहीं होगा तथा जमीन भी खाली हो जायगी।

तंत्र— यदि इस तरह खेती की खुली छूट दे दी गई तो बहुत से गरीब छोटे किसान जमीन बेचकर भूमिहीन हो जायेंगे। तब उनकी रोजी रोटी का माध्यम भी छिन जायगा।

लोक— यदि इसमें भी दिक्कत है तो कुछ वन भूमि को कम कर दीजिये जिससे खेती पर भी बुरा असर न हो तथा निवास की भी दिक्कत दूर हो जावे।

तंत्र— यदि वन भूमि कम कर दे तो पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण कैसे होगा?

लोक— आप निजी वन रोपण का प्रोत्साहित करिये। इसके लिये आप निजी भूमि पर होने वाले वन उत्पादों पर से नियंत्रण भी हटा लीजिये और टैक्स भी हटा लीजिये। आश्चर्य की बात है कि आप लकड़ी के जलावन को निरूत्साहित करके इरान की गैस या मिट्टी तेल के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं जबकि लकड़ी के धुएँ की अपेक्षा गैस या मिट्टी तेल का धुआँ ज्यादा घातक है। आप लकड़ी के फर्नीचर पर टैक्स लगाते हैं। आप भारतीय लकड़ों के प्रयोग को रोकते हैं और मलेशिया की लकड़ी को आने देते हैं। यदि वन उत्पाद ग्रामीणों की आय के अच्छे माध्यम बन जायें तो निज भूमि पर भारी वृक्षारोपण संभव है।

तंत्र— यदि हम वन उत्पादों पर टैक्स न लगायें तो हमारा खर्च कैसे चलेगा? हमें शिक्षा पर भी बजट लगाना है तथा अन्य खर्च भी करने हैं।

लोक— आप गरीबी रेखा से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि देकर शिक्षा स्वास्थ्य से मुक्त हो जाइये। इससे कई समस्याएँ एक साथ दूर हो जायंगी। इससे गरीबी रेखा का कलंक नहीं रहेगा। कुपोषण या भूख का भी कलंक नहीं होगा इससे भ्रष्टाचार अपने आप घटेगा। इससे सरकार का बोझ कम हो जायगा तथा सरकार न्याय और सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दे पायगी।

तंत्र— आप जो छूट देने की बात कह रहे हैं वह धन कहाँ से आयेगा। हमें तो फिर अनाज दाल और वन उत्पादन पर टैक्स बढ़ाना होगा।

लोक— नहीं। हम तो सुझाव देते हैं कि आप सब प्रकार के गरीब ग्रामोण श्रमिक उत्पादन तथा उपभोग की वस्तुओं को कर मुक्त कर दीजिये तथा गरीबी रेखा से नीचे वालों को आवश्यक नगद धन राशि प्रतिमाह दे दीजिये। आप सस्ता राशन, शिक्षा स्वास्थ्य जैसे दायित्वों से मुक्त हो जाइये।

तंत्र— टैक्स हटाना है और सब्सीडी नगद देना है। यह धन कहाँ से आयेगा।

लोक— आप कृत्रिम उर्जा पर भारी कर लगा दीजिये। उतना लगाइये जितने से आपकी जरूरत पूरी हो जाव। इससे आपकी अधिकांश समस्याएँ हल हो जायगी। पर्यावरण प्रदूषण हटेगा, विदेशों पर निर्भरता हटेगी, श्रम की मांग भी बढ़ेगी और मूल्य भी बढ़ेगा, बिजली उत्पादन के प्राकृतिक स्रोत बढ़ेंगे, मुस्लिम देशों का दबाव घटेगा, शहरो आबादी गांवों की ओर लौटेगी, गरीब-अमोर का अंतर घटेगा आदि।

तंत्र— इससे आवागमन महंगा होगा तथा खेती का लागत खर्च बढ़ जायगा।

लोक— यह तो होना ही चाहिये। आवागमन जिस तेजी से बढ़ा है वह समझाने न होकर समस्या बन रहा है। इसी तरह मशीनी खेती को मंहगा होने से श्रमिक कृषि भी प्रोत्साहित होगी।

तंत्र— आपके जो सुझाव हैं इससे भारत में समाजवाद का क्या होगा?

लोक— समाजवाद हमारा लक्ष्य न होकर माध्यम है। समाजवाद का अर्थ है समाज नियंत्रित तंत्र। धूर्त लोगों ने इसका अर्थ बदल कर समाज का अर्थ कर दिया जन प्रतिनिधि और फिर उन्होंने समाज को गुलाम बना लिया। समाजवाद की षडयंत्रकारी परिभाषा ही सारी समस्याओं की जड़ है। या तो आप समाज का अपनी गुलामी से मुक्त करिये अन्यथा अपने समाजवाद को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दीजिये। आपकी सभी समस्याएँ अपने आप सुलझ जायेंगी। जब हमारे हर सुझाव पर आपको सिर्फ प्रश्न ही करना है और उत्तर देना ही नहीं है तो हमारे पास और क्या उपाय है।

आज भारत में समस्याएँ पैदा नहीं हो रही बल्कि योजना पूर्वक पैदा की जा रही है क्योंकि समाजवाद उनका लक्ष्य है और समाजवाद का अर्थ प्रचारित किया जा रहा है समाज की सभी समस्याओं का इस तरह समाधान करना कि उससे नई समस्याएँ पैदा हो। जब समस्याएँ पैदा होंगी तब तंत्र उसका समाधान करने के लिये कुछ नये कानून समाज पर थोपेगा और इस तरह समाज पर तंत्र का शिकंजा कसता कसता लोक को वोट देने के अधिकार तक सिकोड देगा। विचार करिये कि किसी भी समस्या के समाधान पर तंत्र का एक नया प्रश्न तैयार खड़ा है। इनके प्रश्न तो यहाँ तक हैं कि श्ये सभी समस्याओं का समाधान आबादी वृद्धि नियंत्रण बताया करते हैं। किन्तु यदि महिलाओं की थोड़ी सी आबादी घट जावे तो वे लोग आसमान सर पर उठा लेते हैं। स्थिति यह है कि नई जनगणना में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है और लड़कियों का थोड़ा सा घटा है। जो अंतर आया है वह बहुत मामूली है और दस वर्षों में है। दूसरी बात यह है कि हरियाणा पंजाब में बालिकाओं का अनुपात सुधरा है। तीसरी बात है कि पिछले सौ वर्ष से लगातार अंतर बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया है। कोई दस बीस वर्षों का परिणाम नहीं। किन्तु देश का हर राजनेता इतनी हाय तौबा मचा रहा है जैसे कोई सुनामी आने वाली हो। फारूक अब्दुला इसे बहुत गंभीर संकट बता रहे हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधीनेता, बाबा रामदेव, स्वामी अग्निवेश आदि बहुत चिंतित हैं। सच बात यह है कि यह समस्या मामूली है, सामाजिक है प्रशासनिक नहीं। ये लोग तिल का ताड़ बनाकर इसलिये पेश कर रहे हैं कि ये समाज के लिये बहुत चिंतित दिखना चाहते हैं। सच बात यह है कि यदि प्रशासन इस समस्या के समाधान से हाथ खींच ले तो दस वर्षों में यह अंतर अधिक से अधिक सौ में आठ तक जा सकता है। इससे अधिक तो जा ही नहीं सकता। यदि चौवन लड़के होंगे तो छियालीस लड़कियाँ होंगी। आबादी की वृद्धि अपने आप रुक जायगी। विधवाएँ स्वतः विवाहित हो जायंगी। दहेज पलटकर महिलाओं के पक्ष में हो जायगा। बहु विवाह नहीं होगा। समाज में महिलाओं का सम्मान बढ़ जायगा और सबसे बड़ी बात यह होगी कि एकाएक महिलाओं की आबादी का अनुपात बढ़ना शुरू हो जायगा। एकबार नेता लोग अपना हस्तक्षेप तो हटाकर देखें। यदि छियालीस चौवन के बाद भी न सुधरे तो शासन हस्तक्षेप कर सकता है। किन्तु शासन चिन्ता करने का नाटक मात्र करना चाहता है अन्यथा पूरी जनगणना रिपोर्ट में नेताओं को यही एक इतनी चिन्ता का मुद्दा दिखा कि हर नेता इसी का समाधान कह कह कर दिन रात चिन्ता का नाटक कर रहा है।

छ माह पूर्व तक पूरा देश मंहगाई से त्रस्त था जबकि मंहगाई एक झूठे प्रचार से पैदा हुई है और उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं है। हर आदमी इतना चिन्तित था कि जैसे बहुत बड़ी समस्या हो। मैंने आंकड़ें देकर प्रमाणित किया कि मंहगाई कृत्रिम समस्या है। यदि राजनीतिज्ञ मंहगाई का हल्ला बन्द कर दे तो अपने आप प्रभावहीन हो जायगी जैसा कि पिछले एक माह से हो रहा है।

गर्मी के दिनों में एक केन्द्रीय मंत्री ने बयान दिया कि लोग नदी किनारे बसने की आदत डाले । एक दो वर्षों बाद बाढ़ आई तब दूसरे केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि लाग नदी किनारे न बसें । मुझे याद है कि किस तरह सवसीडी दे देकर अंग्रेजी खाद का उपयोग बढ़ाया गया और अब अंग्रेजी खाद के विरुद्ध प्रचार किया जा रहा है। मैं बस्तर के प्रवास पर था। भारत का हर नेता चिन्तित था कि बस्तर बहुत पिछड़ा है इसलिये उसका विकास हो किन्तु आदिवासियों की अपनी पुरानी जीवन पद्धति में कोई बदलाव न हो। इनसे कोई पूछे कि ये दोनों बातें एक साथ कैसे संभव है कि विकास हो किन्तु जीवन पद्धति में बदलाव न हो। लेकिन सभी नेता और उनसे जुड़े लेखक पत्रकार समाज सुधारक धर्मगुरु धडल्ले से यही दो मुही बात बोलते हैं। कोई इनसे पूछने वाला नहीं।

मेरे लिखने का आशय मात्र इतना ही है कि भारतीय लोकतंत्र में से तंत्र से जुड़े लोग किसी भी समस्या को सुलझने ही नहीं देते। वे हर मामले में प्रश्न खड़ा कर देते हैं जिससे समस्या ज्यों की त्यों बनी रहे अथवा उसके समाधान से ही कोई नई समस्या पैदा हो जावे । तंत्र से जुड़ी कोई भी इकाई न्याय और सुरक्षा के प्रति उतनी संवेदनशील नहीं जितनी जाति धर्म लिंग भेद के विस्तार में सक्रिय दिखती है । आज लोक में तंत्र के विरुद्ध जो उबाल दिख रहा है वह आकरणा नहीं है । तंत्र से जुड़ी तीनों इकाइयों ने अपनी सारी सीमाएँ तोड़कर लोक को लगातार गुलाम बनाकर रखने की जो तत्परता दिखाई उसी के विरुद्ध लोक ने अन्ना हजारे को प्रतीक मानकर अपना शक्ति प्रदर्शन किया है। आशा है कि तंत्र की इकाइयों लोक की इस बात को समझगी।

## नौ अप्रैल एक ऐतिहासिक यादगार का दिन

पाँच अप्रैल दो हजार ग्यारह एक ऐसे दिन के रूप में याद किया जायेगा जिस दिन भारत की जनता ने संसदीय प्रजातंत्र के विरुद्ध लोक स्वराज्य के लिए शक्ति परीक्षण की शुरुआत की। दिल्ली के जन्तर मन्तर पर अन्ना हजारे जैसे अल्प ख्याति प्राप्त व्यक्ति ने जन लोकपाल बिल जैसे अल्पख्याति प्राप्त मुद्दे को आगे करके वर्तमान लोकतांत्रिक व्यवस्था को चुनौती दी। चार दिनों में ही एक छोटे से आंदोलन ने तूफान का रूप ग्रहण कर लिया। राजनैतिक दलों में भी समर्थन की होड़ लग गई। हर राजनैतिक दल का नेतृत्व हतप्रभ था, नंगे पाँव भी जन्तर मन्तर की ओर दौड़ रहा था। वहाँ पहुँचकर भी वह अपमानजनक स्थिति में ही था किन्तु हट नहीं रहा था। जन समर्थन से उत्साहित अन्ना हजारे ने घोषणा कर दी कि पाँच दिनों तक यदि सरकार नहीं झुकी तो मिश्र का इतिहास दुहराया जा सकता है। सरकार के हाथ पाँव फूल गये। सरकार ने हथियार डाल दिये और अन्ना हजारे की लोकपाल बिल से जुड़ी पाँचों माँगें स्वीकार कर ली गईं।

आंदोलन किसने किया, किस विषय पर किया, क्या परिणाम होगा इस विषय को जानने का किसी के पास समय नहीं था। सब लोग चाहे वे किसी भी विचार धारा से जुड़े हों अथवा कौन किस संगठन से जुड़ा है यह महत्वपूर्ण नहीं था, महत्वपूर्ण तो सिर्फ इतना ही था कि आंदोलन वर्तमान राजनैतिक व्यावस्था को चुनौती देने वाला है। आम नागरिकों की नजर में कोई दल या व्यक्ति भ्रष्ट नहीं था बल्कि सम्पूर्ण व्यवस्था ही अविश्वसनीय हो गई थी। भारत का हर व्यक्ति महसूस कर रहा था कि भारत का हर राजनेता भ्रष्ट है जिसे रोकने में हमारी संसदीय प्रणाली प्रभावहीन सिद्ध हो रही है।

आंदोलन का पहला चरण नौ अप्रैल को समाप्त हो गया। सरकार झुकी, जनता जीत गई। किन्तु राजनेताओं को यह आंदोलन गोली की तरह अन्दर तक प्रभावित कर गया। सभी राजनैतिक दल और नेता आंदोलन के परिणामों की समीक्षा में जुट गये। कुछ ने शालीनता बरती तो कुछ ने प्रतीक्षा करनी और समीक्षा करनी उचित समझी किन्तु कुछ ऐसे भी थे जो बहुत अधिक चिन्तित हो गये। उनका धैर्य टूट गया। सबसे पहले अडवाणी जी ने इस आंदोलन को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। अडवाणी जी के तत्काल बाद ही दिग्विजय सिंह जी ने मोर्चा सम्हाल लिया और उन्होंने तो आंदोलन का विरोध करने की दिनचर्या ही बना ली। अडवाणी जी को पूरी उम्मीद है कि वे एक बार प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे। किन्तु यदि इस तरह जनता मजबूत होती रही तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनका महत्व क्या रहेगा। दिग्विजय सिंह जी भी कूटनीति में सिद्ध हस्त माने जाते हैं। अब तक पता ही नहीं लगा कि वे अपनी मन की बात बोल रहे हैं अथवा राहुल गांधी का इशारा है अथवा कुछ और षडयंत्र है। इन दोनों के बोलने के बाद तो आंदोलन के खिलाफ कई लोगों ने मोर्चा सम्हाल लिया। अमर सिंह तो ऐसा अवसर खोजते ही रहते हैं किन्तु और भी कई लोग बिलों से बाहर आकर आवाज लगाना शुरू कर दिये। कुछ ने इस आंदोलन को संसदीय प्रणाली पर खतरा बताया तो कुछ ने लोकतंत्र पर । प्रसिद्ध कलाकार अनुपम खेर द्वारा संविधान को असफल कहते ही उन पर राजनेता ऐसा टूट पड़े जैसे उन्हें बर्बाद करके ही दम लेंगे। बेचारे अनुपम जी चुप रह गये। कई नेताओं ने कहा कि अन्ना जी ने सभी नेताओं को भ्रष्ट कहकर उनका अपमान किया है तो बेचारे अन्ना जी को सफाई देनी पड़ी और सच बात से पीछे हटना पड़ा। तंत्र से जुड़ा व्यक्ति चाहे वह नेता हो या बड़ा अफसर सभी किसी न किसी बहाने इस आंदोलन में छेद करने का बहाना खोजने की कोशिश में लगे हैं।

यह आंदोलन किसी भी रूप में भ्रष्टाचार तक सीमित नहीं है। भ्रष्टाचार का विरोध तो एक बहाना मात्र है। वास्तव में संसदीय प्रणाली ही विफल सिद्ध हुई है। संसदीय प्रणाली में मुख्य भूमिका राजनेताओं की मानी जाती है। सच बात तो यह है कि कुछ एक दो अपवादों को छोड़कर राजनीति से जुड़े सभी लोग आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष

के। राजनीति से जुड़ा हर नेता दोनों हाथों से अपना घर भरने में लगा है। जो इक्का दुक्का इमानदार है वे भी भले ही पारिवारिक लाभ के मामले में इमानदार हो किन्तु पार्टी कोष के लिए भ्रष्टाचार में उनकी भी सहमति है। आप पता लगाकर बताइये कि कितने नेता अपने चुनाव खर्च का सही सही और सच सच हिसाब चुनाव आयोग को देते हैं? शायद ही कोई ऐसा मिले। मैं तो यहाँ तक जानता हूँ कि हर नेता का चमचा तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। क्या किसी नेता की ऐसी भी रैली निकलती देखी है जिसमें बड़ी मात्रा में सरकारी अफसरों व्यापारियों से दबाकर पैसा न वसूला गया हो। अधिकांश रैलियों में तो खर्च के बाद पैसा बचाने की भी बात सुनी जाती है। पता नहीं अन्ना जी ने किस डर से राजनैतिक भ्रष्टाचार संबंधी अपने सच कथन में संशोधन कर दिया।

हम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को शत प्रतिशत इमानदार कहते हैं मनमोहन सिंह जी पूरी तरह इमानदार हैं भी किन्तु प्रधानमंत्री के रूप में वे इमानदार कहीं हैं। उनकी जानकारी में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं और वे रोक नहीं पा रहे तो हम उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में इमानदार कैसे कहें। उन्हें हम अन्य राजनेताओं की तुलना में भले ही इमानदार मान लेते हैं किन्तु सामाजिक तुलना में उन्हें इमानदार नहीं कह सकते क्योंकि वे प्रधानमंत्री भी हैं। मैं तो पूरी तरह आश्चर्य हूँ कि राजनीति में अपवाद में छोड़कर शत प्रतिशत भ्रष्टाचार व्याप्त है।

हम संसदीय लोकतंत्र पर विचार करें। इसके तीन अंग हैं—विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका राजनीति से जुड़ी है। जब सम्पूर्ण राजनीति ही आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है तो उन्हीं में से बनी संसद की अलग से चर्चा करना व्यर्थ है। कार्यपालिका में राजनेताओं की अपेक्षा एक दो प्रतिशत कम भ्रष्टाचार माना जा सकता है जिसे हम अठान्ने तक कह सकते हैं। ये एक दो प्रतिशत इमानदार लोग भी या तो राजनेताओं के दबाव में भ्रष्ट कार्यों की मौन स्वीकृति दे देते हैं अथवा किसी न किसी बहाने किनारे कर दिये जाते हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विधायिका और कार्यपालिका की अपेक्षा कुछ कम है किन्तु बढ़ रहा है। यह अलग बात है कि न्यायपालिका की धौंस के कारण उजागर कम होता है किन्तु वह भी विधायिका और कार्यपालिका की अपेक्षा कुछ ही कम हो सकता है। यह भी विचारणीय है कि संसदीय लोकतंत्र के तीन अंग विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक दूसरे का परक भी होना चाहिए तथा नियंत्रक भी। विचार करिये कि क्या ऐसा है? यहाँ तो तीनों अंगों में से विधायिका और न्यायपालिका एक दूसरे से आगे जाने का कम्पीटिशन करने में ही लगे हुए हैं। पहले विधायिका की दादागिरी चलती थी और अब न्यायपालिका की चल रही है। न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को पंगु करके सब कुछ स्वयं करने पर आमादा है। जब संसदीय लोकतंत्र के तीनों अंग पूरी तरह भ्रष्टाचार में भी डूबे हुए हैं और एक दूसरे के पूरक न बनकर टांग खिचाई में संलग्न हैं तो ऐसे संसदीय लोकतंत्र को हम कब तक ढोते रहेंगे।

संसदीय लोकतंत्र एक जीवित लोगों का संगठन है जो लोकतंत्र के मालिक "लोक" को गुलाम बनाकर रखने के लिए तरह तरह के नाटक करता रहता है। इसी नाटक की एक कड़ी के रूप में इन लोगों ने एक किताब लिखकर उसका नाम दे दिया संविधान। संविधान का अर्थ होता है तंत्र के अधिकतम तथा लोक के न्यूनतम अधिकारों की सीमाएँ निश्चित करने वाला दस्तावेज। संविधान लोक और तंत्र के बीच एक द्विपक्षीय समझौता है न कि लोक को गुलाम बनाने के उद्देश्य से तंत्र की ढाल मात्र। क्या संविधान अपना काम ठीक से कर रहा है? क्या तंत्र को संविधान अपनी सीमा में रख पा रहा है? यदि तंत्र इस तरह उचश्रृंखल और भ्रष्ट हुआ तो संविधान ने उसमें कहीं बाधा पैदा की? यदि तंत्र को नियंत्रित करने में संविधान निर्जीव है तो संविधान में व्यापक फेर बदल की आवाज उठाना किस प्रकार गलत है? तंत्र जब चाहे तब संविधान में बिना लोक से पूछे मनमाना संशोधन कर ले और लोक यदि कहे कि संविधान असफल हो गया है, उसमें संशोधन किया जाय तो अम्बेडकर जी को ढाल बनाया जाता है, विधान सभा में प्रस्ताव पारित होता है, न्यायालय में जाने की धमकियाँ दी जाती हैं। तंत्र इस तरह डराता है जैसे कि किसी गुलाम ने अपने मालिक का अपमान कर दिया हो। यदि संविधान कुछ करता ही नहीं और भ्रष्टाचार समाज रोकेगा, चोरी डकैती समाज रोकेगा, सब काम समाज ही करेगा तो समाज को ऐसे संविधान की जरूरत क्या है? वह रहे या न रहे। संविधान सबसे उपर है क्योंकि व्यक्ति के उपर कानून है, कानून के उपर संसद और संसद के उपर संविधान। वैसे तो संविधान से भी उपर लोक होता है किन्तु यदि मान लें कि संविधान लोक और तंत्र के बीच समझौता है तो तंत्र से जुड़े लोगों ने संविधान में घपला करके यह कैसे लिख दिया कि तंत्र जब और जैसा चाहे संविधान में संशोधन कर सकता है। उस समय लोक को इस घुसपैठ का पता नहीं था क्योंकि उसे तंत्र परिवार पर विश्वास था। अब लोक को पता चल रहा है तब लोक जंतर मंतर पर इकट्ठा हो रहा है। जिस तरह अनुपम खेर के साथ तंत्र से जुड़े संगठनों ने दादागिरी की है वह निन्दनीय है।

इसलिए अन्ना जी का आंदोलन सिर्फ भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन मात्र नहीं है। यह आंदोलन पूरी तरह तंत्र की दादागिरी के खिलाफ है, संसदीय लोकतंत्र की असफलता के खिलाफ है और यदि संविधान बीच में रोड़ा बना तो उसमें भी संशोधन की राह पकड़ सकता है। यह आंदोलन गांधी और जयप्रकाश के अधूरे लोक स्वराज्य के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयत्न है। भारत के लोक को अपनी ताकत का अहसास हो गया है और तंत्र को भी उसकी ताकत का आभास हो चुका है। अब अडवाणी और दिग्विजय बेकार की कसरत कर रहे हैं। यह आंदोलन न शान्ति भूषण की बपोती है न अन्ना जी की टीम की। यह आंदोलन जन आंदोलन है जिसमें अन्ना जो और शान्ति भूषण प्रतीक मात्र हैं। प्रतीकों को बदनाम करने का प्रयत्न परिणामों को प्रभावित करने में सफल नहीं हो पायेगा। शान्ति भूषण, प्रशान्त भूषण रहेंगे या बदले जायेंगे, आंदोलन अन्ना हजारों का सफल होगा या रामदेव का ये बातें गौण महत्वपूर्ण है यह कि आंदोलन लोक नियुक्त तंत्र को लोक नियंत्रित तंत्र की दिशा में बढ़ना निश्चित है।

अतः मेरा निवेदन है कि तंत्र से जुड़े लोग लोकतंत्र में लोक और तंत्र के बीच अब तक चले तंत्र के पक्षपात को समझें और लोक को सहभागी बनावें। यदि लोकतंत्र को लोक स्वराज्य या सहभागी लोकतंत्र की दिशा में जाने से रोकने में तंत्र के लोगों ने बल प्रयोग की कोशिश की तो लोक फिर से गांधी युग की राह पकड़ सकता है जो तंत्र के लिए ज्यादा कष्टकर होगी।

## एक मई श्रम सम्मान का प्रतीक या श्रम शोषण का?

फिर एक मई आ गया। प्रतिवर्ष आता है और चला जाता है। नारे लगते हैं जुलूस निकलते हैं और कुछ श्रमजीवियों को सम्मानित भी कर दिया जाता है। साथ ही आयोजकों को मिल जाता है अपनी श्रम शोषक नीतियों को एक वर्ष तक जारी रखने का अधिकार। जिस देश में कई दशकों से एक मई श्रम दिवस के रूप में मनाया जाता हो और उस देश का श्रम जीवी आज भी नरेगा के अंतर्गत एक सौ बीस रूपया प्रतिदिन पर काम करने के लिये सड़को पर भीख का कटोरा लिये घूम रहा हो वहाँ श्रम दिवस की उपयोगिता पर खोजबीन तो होनी ही चाहिये।

प्राचीन समय में पूजावाद था। पूजावाद प्रायः श्रम शोषण के लिये लालायित रहता है। बुद्धिजीवी वर्ग पूजावाद से श्रम की सुरक्षा को प्रयत्न करता रहता है। न सभी पूजापति बुर होते हैं न सभी बुद्धिजीवी अच्छे। बुरा और अच्छा होना व्यक्ति की व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। यह प्रश्न विशेष अर्थ नहीं रखता कि वह व्यक्ति पूजापति है, बुद्धिजीवी अथवा श्रमजीवी। किन्तु यह बात तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जब ऐसे चालाक लोगों का सत्ता के साथ गठजोड़ हो जाता है। पूजा ने श्रम को तो गुलाम बनाया ही, बुद्धिजीवियों को भी साथ कर लिया। बुद्धिजीवियों ने इस पूजावादी अत्याचार के विरुद्ध रिवोल्ट किया। उन्होंने साम्यवाद समाजवाद के नाम पर श्रम जीवियों को आगे कर दिया। पूजावाद ने कई जगह घुटने टेक दिये। यह घुटने टेकना एक मई को हुई थी। इसलिये इस घटना की यादगार के रूप में एक मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है।

यह सच है कि एक मई को पूजावाद ने घुटने टेके। इस आधार पर यह दिवस श्रम सम्मान का दिन है। किन्तु उससे भी अधिक भयावह सच यह है कि एक मई को श्रम शोषण की पहली ईंट रखी गई। अब तक पूजावाद प्रत्यक्ष रूप से श्रम शोषण करता भी था और दिखता भी था। किन्तु एक मई के बाद बुद्धिजीवियों ने ऐसा कमाल किया कि श्रम शोषण बढ़ता गया और दिखना बन्द हो गया। गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि श्रम सम्मान और श्रम मूल्य बढ़ना चाहिये। मशीनों का उपयोग अनिवार्य स्थिति में किया जाय जब या तो श्रम अभाव हो जाय या श्रम संभव कार्य न हो। बुद्धिजीवियों ने गांधी की बात को किनारे करके मार्क्स को बीच में घुसा दिया कि मशीनों का अधिकाधिक उपयोग करके उसका लाभ श्रमजीवियों में बाँट दिया जाय। सबसे बड़ा घपला यह हुआ कि बुद्धिजीवियों ने श्रम की स्वाभाविक परिभाषा "शारीरिक श्रम" को बदल कर उसके साथ बौद्धिक श्रम को जोड़ लिया। इस परिवर्तन से बुद्धिजीवियों का रास्ता साफ हो गया। ये लोग श्रम जीवियों के नाम पर नीतियाँ बनाने लगे, संगठन बनाने लगे, सरकार बनाने लगे और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो बैठे जहाँ पहले पूजापति हुआ करते थे। इन लोगों ने सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिलाना शुरू किया। ये श्रम को धक्का देकर शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान देने में पूरी तरह सफल है। आज भी श्रम का बजट काटकर शिक्षा का बजट बढ़ाने की षण्यंत्र कारी आवाजें उठती ही रहती हैं और बुद्धिजीवियों की सरकार ऐसी मांग तुरंत मान भी लेती है। शिक्षा पर बजट बढ़ाना गलत नहीं है। श्रम को उचित मूल्य और सम्मान मिलने लगे और शेष बजट शिक्षा पर खर्च हो यह ठीक है। किन्तु शिक्षा पर बजट बढ़े चाहे उसके लिये रोटी, कपड़ा, मकान, दवा जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर ही टैक्स क्यों न लगाना पड़े, यह गलत है। साठ वर्षों के बाद भी एक सौ बीस रूपये में श्रम को वर्ष भर काम देने के लिये हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है, दूसरी ओर शिक्षा पर अनाप सनाप बजट खर्च होता है तो बुद्धिजीवियों की नीयत पर संदेह तो होता ही है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ग्रामोण उत्पादन और उपभोग की वस्तुओं पर इतना ज्यादा कर है। किन्तु है तो। मेरे बार बार प्रश्न करते रहने के बाद भी किसी बुद्धिजीवी में हिम्मत नहीं हुई कि वे इस प्रश्न पर कुछ कहे।

श्रम शोषण का मनोबल बढ़ा। इन लोगों ने नई चालाकी करते हुए कृत्रिम उर्जा को अधिकाधिक सस्ता करने रहने की योजना बना ली। एक तीर से कई शिकार हो गये। श्रम मूल्य को बढ़ने से रोकने में यह प्रयत्न बहुत कारगर रहा। क्योंकि यदि कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि हो जाती तो वे सारी समस्याएँ स्वतः ही दूर हो जाती जिनके आधार पर श्रमिकों के बीच असंतोष की ज्वाला जलाकर रखी जा सकती थी। इस माध्यम से आर्थिक असमानता बढ़ती गई, गांव कमजोर और शहर मजबूत होने लगे। खेती को श्रम के साथ जोड़ दिया गया जबकि बुद्धि का उद्योग या सरकारी नौकरी के साथ। नौकरी और उद्योग को लाभकर और खेती को लगातार अलाभकार धंधा बनाने की कोशिश की गई। खेती के उत्पादन के मूल्यों को बढ़ने से रोका गया। लगातार मंहगाई का झूठा हल्ला इस प्रकार जीवित रखा गया कि खेती से जुड़े उत्पादनों का मूल्य बढ़ ही न सके। खेती से जुड़े उत्पादनों पर कई प्रकार के टैक्स और कानून लाद दिये गये। साइकिल पर चार सौ रूपया प्रति साइकिल टैक्स और रसोई गैस को सब्सीडी देना शुरू किया गया। दूसरी ओर टेलीफोन, कम्प्यूटर, आवागमन आदि उच्च तकनीक को अधिकाधिक उपयोगी और सस्ता बनाया गया जो बौद्धिक जगत के उपयोग में ज्यादा आती है। एक श्रमिक का सौ रूपये प्रतिदिन में भी काम नहीं मिलता। इसके बाद भी सम्पूर्ण भारत में लगातार यह प्रचारित किया जा रहा है कि आज भारत में काम करने को मजदूर नहीं मिलते। आश्चर्य है कि

आपको एक पद की आवश्यकता होने पर कई हजार आवेदन प्राप्त होते हैं दूसरी ओर खोजने पर भी मजदूर नहीं मिलते। क्योंकि उस एक पद के लिये आवेदन के साथ है अच्छा वेतन, अच्छी घूस, सुविधा और सम्मान जनक कार्य और उपर से पद का रोब। श्रमिक कार्य में क्या जुड़ा है? एक सौ रूपया, मालिक –नौकर के संबंध, उपर से डांट डपट। विचार करिये कि आज मई दिवस ने शारीरिक श्रम का क्या हाल कर रखा है?

इन सब असमानताओं के बाद भी हालत यह है कि यदि मजदूर नहीं मिलते तो नरेगा में एक सौ बीस रूपया में मजदूर कहीं से मिल रहे हैं कि आपको एक सौ दिन की सीमा घोषित करनी पड़ी। यदि आप एक सौ बीस रूपया में भी खुला काम नहीं दे पा रहे तो भारत में काम करने वालों का अभाव सिद्ध होता है कि काम देने वालों का अभाव। स्पष्ट है कि गांवों में श्रमिक हैं और शहरों में श्रमिकों की मांग है।

नरेगा में भी मशीनों का प्रयोग होने लगा है क्योंकि डीजल, पेट्रोल, विजली का उपयोग सस्ता भी है और सुविधा जनक भी। मजदूर मशीन की अपेक्षा महंगा है। पूरे भारत में गरीब ग्रामोण श्रमजीवी के शोषण के उद्देश्य से शहरी पूंजीपति बुद्धिजीवी वर्ग तरह तरह के षडयंत्र कर रहा है। और उस षडयंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है सस्ती कृत्रिम उर्जा। कृत्रिम उर्जा को इतने आकर्षक तरीके से गांव गांव तक पहुंचाया जा रहा है कि वेचारा श्रमजीवी उसकी चकाचौध में यह समझ ही नहीं पाता कि यह तो उसकी सौत है प्रतिस्पर्धी है, उसे बेरोजगार कर देगी।

मई दिवस बौद्धिक श्रम करने वालों के लिये वरदान है। उन्हें पूंजीपतियों के समानान्तर एक पहचान मिली है। उन्हें शारीरिक श्रम करने वालों का शोषण करने का अधिकार मिला है। उन्हें राज्य सत्ता में भागीदारी मिली है तथा उनकी प्रगति के द्वार खुले हैं। दूसरी ओर एक मई शारीरिक श्रम करने वालों के लिये एक कलंक का दिन है। यही वह दिन है जब श्रम के नाम पर संगठित बुद्धिजीवी समाज से और अधिक वेतन भत्ते सुविधाएँ बजट आदि की मांग करते हैं और पा भी जाते हैं। दूसरी ओर श्रम मूल्य को मुद्रा स्फीति के साथ भी जोड़ने में कठिनाई हो रही है। भारत की कुल विकास दर नौ प्रतिशत करीब है। यह पूंजीपतियों की सत्रह बुद्धिजीवियों की नौ तथा श्रमजीवियों की एक प्रतिशत का औसत है। यह एक प्रतिशत की विकास दर भी सरकार द्वारा प्राप्त सस्ते अनाज, नरेगा द्वारा प्राप्त रोजगार तथा अन्य सुविधाओं के कारण है अन्यथा विकास दर नकारात्मक ही है। साम्यवाद ने सम्पूर्ण भारत में श्रम का धोखा देकर उनकी स्वाभाविक विकास दर को रोकने की पहल की है। कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि के खिलाफ सबसे आगे साम्यवादी ही खड़े होते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि यदि कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि होगी तो श्रम की स्वाभाविक मांग बढ़ जायगी और इससे गरीब ग्रामिण श्रमजीवियों के अंदर निरंतर जलायी जा रही असंतोष की ज्वाला बुझ सकती है जो ज्वाला साम्यवाद का एक मात्र आधार है। अब नये परिपक्ष में एक मई को श्रम शोषण दिवस के रूप में मनाने की पहल करनी चाहिये क्योंकि एक मई ने मजदूरों को सशक्त किया है, उन्हें आजादी दिलाई है किन्तु श्रम को उससे दूर रखने का षडयंत्र भी किया है। अब तक श्रम ऐसे झूठे प्रचार से बहुत छला गया। अब नहीं छला जायगा। साम्यवाद का पतन निश्चित हो चुका है, कृत्रिम उर्जा की मूल्य वृद्धि के भी प्रयास शुरू हो चुके हैं, श्रम के नाम पर संगठित बुद्धिजीवी ब्लैकमेलिंग चुपचाप दम तोड़ रही है। श्रम के नाम पर धोखा देकर श्रम शोषण करने वाले महत्वहीन हो रहे हैं। किन्तु इन सबके बाद भी शारीरिक श्रम मजबूत न होकर पूंजीवाद ही दुबारा आ रहा है जो अच्छे आसार नहीं है। यदि साम्यवाद का स्थान पूंजीवाद ने ले भी लिया तो भले ही भ्रष्टाचार घट जावे, आर्थिक विकास दर बढ़ जावे, दुनिया में भारत एक नम्बर हो जावे किन्तु बेचारा श्रम तो इससे कोई लाभ नहीं उठा सकेगा क्योंकि श्रम को लाभ होगा कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि से, कृषि को लाभकारी व्यवसाय के रूप में स्थापित होने से ग्राम सभाओं के वास्तविक सशक्तिकरण से। पूंजीवाद अब तक इन दिशाओं में उदासीन है। शारीरिक श्रम को बौद्धिक श्रम के षणयंत्र से मुक्त होना ही पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त होगा श्रम की मांग का बढ़ना, उसका महत्व बढ़ना और यह तब तक संभव नहीं जब तक डीजल, पेट्रोल, बिजली, केरोसीन, कोयला के मूल्यों में भारी वृद्धि करके सम्पूर्ण धन गरीब ग्रामोण श्रमजीवी के बीच बांट न दिया जाय। हमें भारत के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी से बहुत आशाएँ हैं। जिस तरह उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को सहभागी लोकतंत्र की दिशा देने की पहल की है उसी तरह वे श्रम के साथ भी न्याय करने की पहल करें।

हमें अन्तिम रूप से यह स्वीकार करना चाहिये कि श्रम, बुद्धि और धन के बीच समानता न तो संभव है न उचित। साथ ही हमें यह भी मानना होगा कि इनके बीच बढ़ती अनियंत्रित असीमित असमानता समाज में कभी शान्ति पैदा नहीं होने देगी। मार्क्सवाद ने समानता का असंभव लालीपाप दिखाकर इतने वर्षों तक श्रम को छला। अब पूंजीवाद श्रम को दबाना शुरू करेगा। हम जितनी जल्दी वास्तविकता को समझकर श्रम बुद्धि और धन के बीच असमानता की एक संभव रेखा खींच ले और उस रेखा के आधार पर असमानता दूर करने का प्रयास करें तो संभव है कि समाज में वास्तविक शान्ति दिखनी शुरू हो।

पत्रोत्तर

(1) श्री श्रुतिवन्तु दुबे विजन , बरगंवा जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश , 486886

पसिद्ध गांधीवादी संन्त व चिन्तक अन्ना हजारे भ्रष्टाचार उन्मूलनार्थ लोकपाल विधेयक लाने के लिये शासन से मांग करत हुए अनशन पर बैठे । विचार अच्छे है जिनका समर्थन भी होना चाहिये तथा सराहना भी । देश मे एक हवा उठो । शासन ने वक्त को पहचाना और तुफान बनने से रोक दिया । यह एक शुभ संकेत है। लोक स्वराज्य की दिशा में बढ़ता हुआ कारगर कदम है। हालांकि भ्रष्टाचार तो भ्रष्ट आचार है जो लोक व्यवहार में ही पानी में शक्कर सा घुला मिला है साथ ही मीठा भी लगने लगा है । ऐसी कार्य शैली से बने हुए व्यवहार को रोकपाना आसान तो नहीं, फिर भी साहसिक कदम का कदमताल के द्वारा स्वागत होना जनपक्ष के जागरण का सबूत होगा। यही जागृति शासन तख्त को लालझण्डी अभेद्य को भेद्य व बाहरी राजनीति को शंख ध्वनि होगी। मंजिल पाने के लिये दूरी अभी अधिक है, अतः भविष्य की भविष्यवाणी करना बौद्धिक कटघरे में खड़ा होने के समान होगा। राइट टू रिकाल , संवैधानिक अधिकारों की सूची में परिवार, गांव व जिला को शामिल करने , नकारात्मक मत आदि विषयो पर अभी लडाई आगे है । आने वाले लोकपाल विधेयक के माध्यम से गुण्डा व आपराधिक तंत्र को किस सीमा तक नियंत्रित किया जा सकेगा या कितने प्रतिशत तक नियंत्रण संभव होगा? नियंत्रण का वस्तुनिष्ठ तरीका क्या होगा? आदि आदि ऐसे प्रश्न उत्तर की टोह में सडक पर ही पैदा हो रहे है। चाहे आगे कुछ भी हो , किन्तु आज का 'वर्तमान ' हमारे साथ है , जहाँ अन्ना हजारे की मौजूदगी के अहसास में संभवतः सरकार को भी अपनी रीढ़ की हड्डी को झुकाना पडा है। लोक की सफलता के इस प्रथम चरण में अन्ना जी का कोटि-कोटि कण्ठों से स्वागत है। यद्यपि अभी यह नहीं कहा जा सकता कि नव गठित समिति किसी सेल में बैठकर लोकपाल बिल का मंसौदा तैयार करेगी या वैचारिक बहस का ऐलान करके? समिति को चाहिये कि वैचारिक बहस को खुली सुपाडी देकर सार स्वीकार करते हुए निर्णय ले। तब जड में ही लोक को पालना मिल जायगा। फिर शाखाओं प्रशाखाओं में फलफूल तो लगेंगे ही। यद्यपि जो पांचों मत लागे निका लोक भागीदारी ही है, जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता किन्तु लोक स्वराज्य में कम से कम 80/ बहुमत की आवश्यकता होती है। इस तरह सामाजिक संगठनों को वैचारिक बहस में शामिल कर लेने से गांधी की मंशा और इस अपेक्षा की पूर्ति हो जाती है तथा लोक द्वारा विचार मंथन से नवनीत भी हाथ लग जाता है जो सामाजिक फटन व विघटन को दूर करेगा। बहस में प्रो० ठाकुर दास बंग (सेवाग्राम वर्धा) बाबा रामदेव , बजरंग मुनि (छ०ग०) प्रमोद वात्सल्य (रिषिकेश) जैसे प्रमुख चिन्तकों को शामिल कर लोक जागृति को प्रश्रय दिया जा सकता है। अगर लोक को बहस का समय नहीं दिया जाता तो यह मानना पडेगा कि दरवाजा बन्द कर टेबिल निर्णय का लोक सोपान पार किया गया। प्रश्नावली के माध्यम से भी बहस पूरी हो सकती है । यह विधि लोक को अपने अंक में समेट लेगी । लोक का बेहतरीन पहरेदार लोक ही हो सकता है। समाज और राजनीति के बीच अधिकारों का संयत विभाजन ही लोकपाल बिल के नियंत्रण कारी स्वरूप का निर्धारण करेगा।

अब मैं जानना चाहूंगा कि मुनि जी की वैचारिक प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर क्या है? क्या लोकपाल विधेयक द्वारा भ्रष्टाचार समाप्त हो जायगा? मुनि जी का समर्थन किस रूप में व किस सीमा तक होगा? लोक स्वराज्य की दिशा में इस विधेयक की उपयोगिता कितनी होगी? सामाजिक संगठनों को शामिल कर प्रश्नावली के माध्यम से वैचारिक बहस कराई जाकर भागीदारी बढ़ाई जा सकती है । इस तरह से लोक एक सुलझी सामाजिक लोक व लोकपाल व्याख्या मुनि जो से सुनना चाहता है।

(2) श्री सोमकांत शर्मा , दुर्ग, छत्तीसगढ

भ्रष्टाचार के अनेक रूपों से जीवन में सामना होते रहता है जैसे वितरण प्रणाली में राशन दुकानों का मिट्टी तेल आदि का काला बाजारी, एल पी जी का समय पर नहीं मिलना, रेवेन्यू कर्मचारी अधिकारियों द्वारा घूस लेना, भूमि के पन्जीकरण में प्रतिशत बंधा होना न्यायाधीश के सामने बाबू द्वारा पैसा लेकर पेशी की तारीख देना रेलवे आरक्षण में बिजली विभाग, नगर निगम , नगर पंचायत , ग्राम पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार , क्या इस प्रकार के हर क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लोक पाल विधेयक रोकने में सफल होगा?

(3) रचना रस्तोगी , मेरठ , (इमेल से )

क्या अन्ना हजारे की भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम रंग लाएगी? या लोग ऐसे ही भ्रष्ट लोगों द्वारा सताए जाते रहेंगे? क्या कभी आपका मन नहीं करता कि आप भी देश के लिये कुछ करें या अन्य लोग ही आपके हित के लिये लड़ते रहें? क्या आप नहीं चाहते कि भारत भ्रष्टाचार से मुक्त हो, यदि हाँ तो पहल अपने से ही करिये। अन्ना हजारे के मन में क्या छुपा है उस पर मत जाइये पर यह जरूर सोचिये कि उसका मिसन कितना महान है। हर तरफ लूट खसोट मची हुई है चाहे तकनीकी शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, चाहे सरकारी काम हो या प्राइवेट , हर तरफ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है फिर यह जंग किसी विदेशी के विरुद्ध नहीं बल्कि स्वदेशी भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ है। एक एक ग्यारह हो जाते हैं और यहाँ तो अब एक सौ इक्कीस करोड है जिन पर पांच सौ तिरालीस भारी पड रहे है। प्राइवेट स्तर पर कभी मेडिकल या डेंटल चिकित्सा शिक्षा का हाल देखा है , जिस दिन देख लेंगे, इलाज से तो क्या इलाज के भय से ही मर जायेंगे। चंद रूपियों की घूस की खातिर काम करते हैं? क्योंकि मेनेजमेंट को छात्रों के नये प्रवेश से आमदनी और शिक्षकों के वेतन से हानि होती है। ना पूरा स्टाफ है और नहीं सुविधाएँ, कागजों पर चाहें जो हो परन्तु वास्तविकता भिन्न है। अब तो जिन्दा बने रहने के लिये ही संघर्ष करना पडेगा।

उत्तर-अन्ना जी के आंदोलन और भ्रष्टाचार नियंत्रण की संभावनाएँ संबंधी अनेक पाठकों के प्रश्न मिले और अब भी मिल रहे हैं । मैंने अपने लेख में स्पष्ट किया है और पुनः कर रहा हूँ कि न यह जनक्रोश भ्रष्टाचार के खिलाफ था न अन्ना जी का समर्थन ।

यह आक्रोश वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था से निराश जनता का था जिसके माध्यम बने अन्ना हजारे और बहाना बना भ्रष्टाचार नियंत्रण । इस आंदोलन से भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा क्योंकि भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं कानूनों की बढ़ती हुई मात्रा से। हर चार माह में संसद और विधान सभाएँ बैठकर नये नये कानून बनाती हैं। जितने कानून बनते हैं उतना ही अधिक भ्रष्टाचार के अवसर पैदा होते हैं । सरकार के पास भ्रष्टाचार नियंत्रण की ताकत कम होने से सम्पूर्ण व्यवस्था में भ्रष्टाचार इकट्ठा होते चला जाता है। धीरे धीरे भ्रष्टाचार नियंत्रक मशीनरी भी भ्रष्ट हो जाती है । अन्ना जी का आंदोलन भ्रष्टाचार रोक देगा ऐसी कोई संभावना नहीं है । किन्तु भारत में पहली बार तंत्र की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने का आत्मविश्वास जनता में पैदा हुआ है तथा राजनेताओं का मनोबल टूटा है । आपके प्रश्न इसलिये अनावश्यक है कि ऐसे प्रश्न राजनेताओं का मनोबल बढ़ायेगे। यदि मैं प्रति प्रश्न करूँ कि इस आंदोलन से क्या नुकसान है? क्या उत्तर है इसका । किसी जन आंदोलन के समक्ष न सरकार झुकी है न कांग्रेस पार्टी झुकी है। सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था झुकी है जो पहले स्वयं को ऐसा जन प्रतिनिधि मानती थी जिसे चुने जाने के बाद पांच वर्षों तक जन के विषय में कुछ भी करने के असीम अधिकार प्राप्त हैं। इस आंदोलन ने सिद्ध कर दिया कि यदि लम्बे समय तक लोक की उपेक्षा होगी तो तुम्हारी सुरक्षा न संसद कर पायेगी और न सविधान । यदि तुम लोक के शक्ति प्रदर्शन का लोकतंत्र विरोधी भी घोषित करोगे तो लोक ऐसे लोकतंत्र को भी बदलकर नया लोकतंत्र लाने की ताकत रखता है । मेरा वकील न्यायालय में मेरे लिये बहस कर रहा है और कानून बनाकर मुझे बीच में जज के समक्ष कुछ कहने से भी कानून बनाकर रोक रहा है । तो बताइये मैं क्या करूँ ? मैं पांच वर्ष तक वकील बदल नहीं सकता। ऐसी स्थिति में कानून टटना स्वाभाविक है। स्थिति की गंभीरता को भांपकर वकील ने मुझे बोलने की छूट दे दी। इतना ही इस आंदोलन का परिणाम मानना चाहिये।

लोकपाल बिल के संबंध में जनता के बीच बहस के प्रयत्न हो रहे हैं। कहीं बहस के नाम पर बिल लटक न जावे यह भी ध्यान रखना है। शान्ति भूषण भ्रष्ट है या इमानदार यह पृथक विषय है । मेरे विचार के अनुसार कार्यपालिका और विधायिका बिल्कुल अलग अलग होने चाहिये। हमारे गडबड संविधान ने विधायिका को कार्यपालिका के अंदर हस्तक्षेप के व्यापक अधिकार दे दिये। यदि विधायिका को कार्यपालिका के उपर प्रत्यक्ष नियंत्रण की इतनी छूट नहीं होती तो इतनी गडबड नहीं होती। भ्रष्टाचार कानून से नहीं होता क्रियान्वयन में होता है। यदि किसी डकैत को राजा बना दिया जाय तो वह डकैती की छूट का कानून नहीं बना सकता। भले ही क्रियान्वयन में डाकुओं को छूट दे दे। शान्ति भूषण या प्रशान्त भूषण का काम किसी भी रूप में कार्यान्वयन से जुड़ा तो बिल्कुल भी नहीं है विधायिका के रूप में भी आंशिक ही है क्योंकि कानून तो संसद बनायेगी। इसलिये कोई बहुत ज्यादा सतर्कता की बात नहीं । फिर भी यदि अच्छे लोग जावे तो और ज्यादा अच्छा होता है।

कुछ लोग अन्ना हजारे में महात्मा गांधी देख रहे हैं । जिस समय आंदोलन चल रहा था उस समय तो अन्ना में गांधी की छवि स्थापित करना उचित और आवश्यक था किन्तु अब वैसा करना ठीक नहीं । गांधी जी और अन्ना हजारे में आसमान जमीन का फर्क है। गांधी जी विलक्षण व्यक्तित्व थे। उनमें समझदारी भी थी और चरित्र भी । अन्ना जी का चरित्र तो प्रमाणित है किन्तु समझदारी में कमजोरी है। अन्ना जी के दूसरे साथी अरविन्द केजरीवाल में ठीक समय पर ठीक निर्णय करने की क्षमता रूपी समझदारी तो प्रमाणित है किन्तु चरित्र के विषय में अभी और प्रतीक्षा करनी होगी । फिर भी इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर गांधी की आवश्यकता की पूर्ति की है । अन्ना जी के साथ मैंने ज्यादा काम नहीं किया है किन्तु अरविन्द जी के साथ तो हमारा लम्बा विचार विमर्ष चलता ही रहा है। यदि ये दोनों मिलकर कोई कदम उठाते हैं तो लाभ अधिक और नुकसान कम की ही संभावना दिखती है।

भ्रष्टाचार रोकने के लिये तो कानून ही कम करन होंगे । कोई अन्य मार्ग नहीं। किसी कार्य के परिणाम से प्रभावित व्यक्ति और कर्ता के बीच की दूरी जितनी ज्यादा होगी, कार्य की गुणवत्ता उसी अनुपात में घटेगी। उसी अनुपात में भ्रष्टाचार के अवसर बढ़ेंगे। समाज के आंतरिक मामलों में तंत्र का बढ़ता हस्तक्षेप भ्रष्टाचार वृद्धि का कारण है । भ्रष्टाचार रुकेगा इस कारण को दूर करने से । फिर भी लोकपाल बिल भ्रष्टाचार रोकने में कुछ न कुछ मदद करेगा ही। अन्ना जी का आंदोलन समस्याओं का समाधान नहीं है बल्कि समाधान के प्रयत्नों में सबसे बड़ी बाधा को दूर करने की पहली लड़ाई में विजय है। इस संघर्ष को यही तक देखना चाहिये। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिये जमीनी लड़ाई रामानुज गंज विकास खंड से सफलता पूर्वक आगे बढ़ रही है। यदि अन्ना जी का हवाई आक्रमण भी शुरू हो जाय तो लाभकारी ही होगा। हमे इसी नजर से देखना चाहिये।

## कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

### परमाणु बिजली संयंत्र और प्रधान मंत्री का दो टूक निर्णय

भारतीय लोकतंत्र की यह खासियत है कि उसमें तंत्र से जुड़े लोग और खासकर राजनेता किसी भी मामले में दो टूक निर्णय न लेकर लम्बे समय तक लटकाये रखते हैं । वे हर समाधान पर कोई न कोई प्रश्न उठा देते हैं तथा प्रश्न के साथ इतने कल्पित परिणाम जोड़ देते हैं कि समाधान करने वाला घबरा जाता है। सड़क पर एक केले का छिलका पड़ा है। अब प्रश्न कर्ता कहता है कि इससे कोई व्यक्ति गिर जाता और उसका हाथ पैर टूट जाता और वह मर जाता और उसके बच्चे बेचारे अनाथ हो जाते । केले के छिलके से कोई गिर सकता है यह संभावित है किन्तु अन्य सारे प्रश्न काल्पनिक हैं । परमाणु उर्जा संबंधी आंदोलन के साथ भी ऐसे ही प्रश्न जुड़े हैं।

जैतापुर मे परमाणु संयंत्र लग रहा है। काम जारी है। शिवसेना ने संयंत्र के विरुद्ध जनमत जागरण का प्रयास किया जो उसका राजनैतिक उद्देश्य है वामपंथी लोगों ने भी अवसर का लाभ उठाया और वातावरण बनाना शुरू किया। पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने हवा का रूख देखकर अपनी भाषा बदल ली और नरम रूख प्रकट करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने हस्तक्षेप किया आर दो टूक कह दिया कि संयंत्र लगेगा। प्रधान मंत्री ने जिस तरह दो टूक निर्णय लिया वह उनके लिये साहस का काम था। जापान मे अभी अभी भूकंप आया। भूकंप से समुद्र मे बाढ आई जिसके प्रभाव से परमाणु रियेक्टर पर प्रभाव पडा। परमाणु उर्जा विरोधियों को बात का बतगड बनाने का मौका मिला। यदि भारत में भी वैसा ही भूकंप आया जिससे समुद्र मे बाढ आई जिससे परमाणु रियेक्टर डूब गये जिससे विकिरण हुआ जिससे बहुत लोग मर जायगे।

सीधा सा प्रश्न है कि हमे या तो बिजली संयंत्र लगाने के लिये कुछ खतरे उठाने होंगे या बिजली की खपत घटानी होगी। जब भी बिजली की खपत घटने के उद्देश्य से बिजली की मूल्य वृद्धि की चर्चा होती है तब भी यही लोग मूल्य वृद्धि के खिलाफ सडक पर आते है। जब भी विजली उत्पादन के लिये बडे बांध की चर्चा होती है तब जंगल डूब के बहाने बांध रोकने मे भी वही चेहरा सामने दिखने लगता है। कुछ दिन पूर्व ही एक कोयला आधारित संयंत्र का भी इन्ही लोगों ने विरोध किया था। अब परमाणु उर्जा का भी विरोध करने वाले वही चेहरे है। ये लोग डीजल पेट्रोल का आयात कम करने पर कोई चर्चा नही करते क्योकि खाडी देशो से तो इनक भावनात्मक रिश्ते है। इन वामपंथो चेंहरो को उत्तर देना चाहिये कि विद्युत उत्पादन वृद्धि के हर प्रयास का विरोध करने के पीछे इनका उद्देश्य क्या है?

ज्ञान यज्ञ परिवार चालीस वर्षो से लगातार आवाज उठा रहा है कि कृत्रिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि कर दी जाय। इसस श्रम की मांग बढेगी और मूल्य बढेगा। कृत्रिम उर्जा श्रम की सहायक न होकर प्रतिस्पर्धी है। ये श्रम शत्रु एक ओर तो कृत्रिम उर्जा मूल्य वृद्धि का भी विरोध करते है तो दूसरी ओर श्रम मूल्य बढाने की भी मांग करते रहते है। जबतक श्रम की मांग नही बढेगी तबतक श्रम मूल्य नही बढेगा और जब तक कृत्रिम उर्जा श्रम मूल्य की तुलना मे सस्ती रहेगी तब तक श्रम की मांग नही बढेगी। दोनो बाते एक साथ असंभव है। एक बात यह भी है कि डीजल, पेट्रोल की अपेक्षा बिजली कम प्रदूषण फैलाती है किन्तु ये खाडी देशो के वकील बिजली के पीछे हाथ धोकर पडे रहते है। यदि एक बार विजली, डीजल, पेट्रोल आदि का मूल्य दुगना कर दिया जाय तो डीजल पेट्रोल आयात ही नही करना पडेगा और अपने आप पर्यावरण सुधर जायगा शिव सेना तथा वामपंथियो का विरोध तो राजनैतिक है किन्तु जयराम रमेश का हॉ मे हॉ मिलाना पूरी तरह गलत है।

हम पुनः अपने प्रधानमंत्री को बधाइ दे कि उन्होने जयराम रमेश जैसा की परवाह न करत हुए दो टूक फैसला लिया। हम आशा करते है कि हमारे प्रधानमंत्री एकबार डीजल पेटोल मूल्य वृद्धि पर भी दो टूक निर्णय ले। यह एक एक दो दा रूपया बढाने से समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला क्योकि यह मूल्य वृद्धि तो मुद्रा स्फीति से भी कम है और समाज की आखों मे धूल झोकने वाली है। अच्छा तरीका यह है कि कृत्रिम उर्जा के मूल्य का मुद्रा स्फीति के साथ जोड दिया जाय और उसके बाद गुण दोष के आधार पर मूल्य वृद्धि की जाय तो इन खाडी एजेंडो को भ्रम फैलाने का अवसर नही मिलेगा।

## विवाह समारोह मे अनाज की बर्बादी और सरकार

पता चला है कि विवाह समारोह मे होने वाले अन्न की बर्बादी पर हमारी भारत सरकार बहुत चिन्तित है। सरकार विचार कर रही है कि विवाह आदि समारोह में ज्यादा भीड होने या अधिक पकवान बनाने पर रोक लगाकर अनाज बचाया जावे जिससे अन्न संकट का समाधान हो सके। पता नही कौन सरकार को ऐसी ऐसी शेख चिल्ली की सलाह देता रहता है। मुझे तो पता चला है कि सरकार को ऐसी सलाह देने मे तीन तथा कथित विद्वान (1) श्री एन सी सक्सेना (2) सांसद राजीव शकल (3) पूर्व राज्यपाल सुदर्शन अग्रवाल के नाम सामने आये है। इन तीन तथा कुछ ऐसे ही निठल्ले लोगों को सरकारी गोदामों मे सडते अनाज की बर्बादी पहले नही दिखती न ही इन्हे छोटी छोटी कानूनी अनियमितताओ के आधार पर जप्त हजारो टन अनाज की सडन से चिन्ता होती है। इन्हे चिन्ता होती है विवाह समारोह मे खाये गये अनाज और उसके बर्बाद जूठन पर।

सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इस प्रस्तावित कानून का पालन कराने का दायित्व किस मशीनरी पर होगा? इस प्रस्तावित कानून के पालन के लिये वही भ्रष्ट मशीनरी काम मे लाई जायगी या कोई नई इमानदार व्यवस्था होगी? समाज मे पुलिस और खाद्य विभाग की जितनी इमानदार छवि है उसे तो और अधिक अधिकार सौपना कदापि जनहित का कदम नही माना जा सकता। एक तरफ तो हमारी सरकार इन्सपेक्टर राज समाप्त करने की घोषणा करती है तो दूसरी ओर ऐसी सिरफिरी मांग भी उठवाने मे वह पीछे नही रहना चाहती। आपसे चोरी डकैती आतंकवाद बलात्कार जैसे संगीन अपराध तो रूक नहीं रहे और विवाह समारोह मे बरातियों की संख्या और मिठाइया की मात्रा के लिये आप इतने संवेदन शील होने का नाटक कर रहे ह। मुझे तो स्पष्ट दिखता है कि ऐसे ऐसे अनावश्यक कानून बना बना कर समाज को गुलाम बनाकर रखने की इच्छा जोर मारती होगी तभी तंत्र से संबद्ध कुछ लोगो ने कुछ अन्य लोगों से ऐसी मांग उठवाई होगी अन्यथा ऐसी मांग से जितना सरकार को लाभ होगा उससे कई गुना अधिक समाज को हानि होगी।

हम इस प्रकार की मांग को लोक की स्वतंत्रता के विरुद्ध तंत्र के षडयंत्र के रूप मे देखते है और ऐसी मांग का पूरी तरह विरोध करते है।

## काश इन्डिया डाट काम में अपना नाम पता कैसे देखें

ज्ञान तत्व के पाठकों की सूची आपके पास न होने से आपका कठिनाई होती है। साथ ही आप यह भी नहीं देख पाते कि आपका नाम है या नहीं, नाम और पता सही है या नहीं, आपका नाम किसने और कब भेजा आदि-आदि। आपको यह भी पता नहीं कि किस शहर के कितने पाठक हैं किनका शुल्क कितना जमा है आदि-आदि।

हम ज्ञान तत्व की पूरी जानकारी अपनी वेब साइट गोपदकपणवउ काश इन्डिया डाट काम पर डाल रहे हैं। देखने का तरीका इस प्रकार है -

इसके दो भाग हैं ए+बी। ए भाग में आपका क्रमांक तथा पूरा पता है। पूरी जानकारी अकारादि क्रम से प्रदेश अनुसार हैं। अर्थात् पहले असम, आन्ध्र .....हरियाणा, हिमाचल अन्य तक है। अकार क्रम से प्रदेश में भी असम, आन्ध्र, उडिसा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, कश्मीर, तमिलनाडू, दिल्ली, पंजाब, बंगाल, हिमाचल अकार क्रम से हैं। अन्य प्रदेशों में अकार क्रम के जिले की सूची में आकर अकार क्रम से नाम है। कल्पना करिये कि आपका नाम मोहन लाल बदायु उत्तर प्रदेश है। आप असम, आन्ध्र, उडिसा, उत्तरांचल होते हुए उत्तर प्रदेश जाइये। वहाँ आप अलीगढ़ से चलते हुए बढ़ते हुए बदायु पहुँचिये। वहाँ भी अ-आ का होते हुए म तक आइये तब म के बाद आपको मोहन मिल सकता है। गोवा, अरुणांचल, नेपाल आदि आदि छोटे-छोटे प्रदेश हिमाचल के बाद एक स्थान पर अंकित है।

आपके नाम के सामने एक क्रमांक लिखा है। यह क्रमांक आपके बी भाग का आपके विवरण का क्रमांक है। विवरण आप उक्त क्रमांक पर देख सकते हैं। विवरण का क्रमांक पहले बी भाग में नाम कटने का चिन्ह है। उसके बाद आपका फोन नम्बर है। उसके आगे आपके प्रस्तावक का नाम या क्रमांक तथा ज्ञान तत्व प्रारंभ होने का माह और वर्ष है। उसके आगे प्रभारी का क्रमांक बाद में शुल्क दो हजार दस उसके बाद शुल्क दो हजार ग्यारह बाद में आपके आये हुए नये पत्र का क्रमांक तथा उसके बाद आपका क्रमांक तथा पूरा पता है। आप देखकर हमें इ मेल या पत्र द्वारा सूचना दे सकते हैं।

आपसे यह भी आशा है कि आप कुछ और गंभीर नाम भेजने की कृपा करें।

नोट-

आपका क्रमांक आपके पूरे पते के पूर्व में है।

सूचना- (1) नौ अक्टूबर को दिल्ली में हम अन्ना जी के आंदोलन की सफलता के छः माह पूरे होने पर धन्यवाद सम्मेलन करेंगे। जिसमें आगे की रणनीति पर भी चर्चा होगी। सम्मेलन दो दिनों का होगा। आप सब आमंत्रित हैं।

(2) ज्ञान तत्व में प्रकाशित अनेक लेख काश इन्डिया डाट कॉम वेबसाइट में भी लगातार आ रहे हैं। इसपर होने वाली प्रतिक्रियाओं के उत्तर भी दिये जा रहे हैं। जो लागू वेबसाइट की सुविधा रखते हैं वे वेबसाइट का भी प्रयोग करें। पूरे देश भर के ज्ञान तत्व के नाम पते भी काश इन्डिया डाट कॉम वेबसाइट में डाले गये हैं।

(3) हमने आपसे निवेदन किया था कि आप कुछ पाठकों के नाम पते भेजें। अप्रैल माह में शंकर लाल जी शर्मा, जयपुर राजस्थान से 17 नाम, श्री महेन्द्र प्रसाद गोवा, जोधपुर राजस्थान से 10 नाम, दीना नाथ वर्मा रायपुर छ0ग0 से 17 नाम, श्री चिन्मय व्यास देहरादुन उत्तराखंड से 10 नाम, सियाराम साहु दुर्ग छ0ग0 से 39 नाम, रमेश कुमार धर्मजीत टीकमगढ़ मध्यप्रदेश से 12 नाम, कृपा शंकर सिंह जशपुर छ0ग0 से 5 नाम, राजेन्द्र तिवारी इन्दौर म0प्र0 से 8 नाम, रवीकांत चंद्रवंशी दुर्ग छ0ग0 से 5 नाम, संजय भाइ शेरपुर संगरूर से 32 नाम, धर्मेन्द्र सिंह अमरावती महाराष्ट्र से 5 नाम, उमाशंकर कुशीनगर से 9 नाम, विजय सिंह बलवान बुलन्दशहर उ0प्र0 से 8 नाम, रवीन्द्र कुमार पोतदार उज्जैन म0प्र0 से 15 नाम, अवधेश कुमार हांसी हरियाणा से 12 नाम, सीताराम शर्मा अनुपपुर म0प्र0 से 32 नाम, चतुर सेन भाइ मुरैना म0प्र0 से 12 नाम डा जी पी गुप्ता छत्तरपुर म0प्र से 8 नाम प्राप्त हुये हैं। अन्य साथियों से निवेदन है कि वे अन्य नाम शीघ्र भेजने की कृपा करें।

(4) यदि आप शुल्क भेजना चाहे तो चेक न भेजें क्योंकि 100 रुपये के चेक को कैस कराने में 50 रुपया खर्च आ जाता है। मनिआर्डर भेजना सबसे आसान है।

(5) पत्र व्यवहार या मनिआर्डर बनारस चौक अम्बिकापुर सरगुजा छत्तीसगढ़ भेजना ज्यादा अच्छा है। वैसे रामानुजगंज से भी कोई दिक्कत नहीं है।

जी एन कटगोरी कर्नाटक से 1000 रुपये, अलादीनशाह ढोढर म0प्र0 से 50 रु0, बद्री प्रसाद मित्तल श्योपुर म0प्र0 से 100रु0, हरिकेश मिश्र बलिया उ0प्र0 100 रु0, राकेश कुमार जीन्द हरियाणा से 100रु0, जी आर यादव जयपुर राजस्थान से 110 रु0, डी के ओझा तमिलनाडु से 100 रु0, जगदीश राम दुर्ग छ0ग0 से 100रु0 की राशी प्राप्त हुई है।